रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226043 CG-DL-E-23032021-226043

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित साविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

एफ.सं. सीए/373/2021/म.स.अ.ए(विनियम).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्षा के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनॉक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2021 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे तथा केवल अकादिमक सत्र 2021—2022 के लिए ही लागू होंगे जिसके उपरान्त मूल विनियम जो कि 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं लागू हो जायेंगे।
- 2. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :—
 - (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायनषास्त्र तथा गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनॉक 11 अगस्त, 2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार [विज्ञापन-III/4/असा./550/2020-21]

1737 GI/2021 (1)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Statutory Authority Constituted under the Architects act, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March 2021

- **F. No. CA/373/2021/MSAE(Regulations).**—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -
- 1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force from the date of this publication in the official Gazette and shall be applicable for the academic session 2021-2022 only and thereafter the original Regulations as notified in the Gazette on 11.08.2020 shall be in force.
- 2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 - "(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed an examination at the end of the 10+2 scheme of examination with Physics, Chemistry & Mathematics subjects or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject."

Footnote: The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./550/2020-21]